राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 896—पीबीआर / 15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13—5—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26.12.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन मार्ग के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद कमांक 54—ए / 78 प्रचलित होकर उसमें पारित आदेश दिनांक 7.12.79 से ग्राम लिंगवा स्थित सर्वे कमांक 171 की भूमि पर सड़क निर्माण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है । तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.4.2007 के विरूद्ध शंकर पिता गोकुल द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के समक्ष व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पारित आदेश दिनांक 14.8.2012 से तहसीलदार के आदेश को शून्य एवं व्यर्थ घोषित किया गया है । साथ ही आवेदकगण को आदेशित किया गया है कि वे तहसीलदार के आदेश दिनांक 4.8.1978 एवं 10.4.2007 के कियान्वयन में वाद भूमि से आवागमन नहीं करेंगे । उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई	

है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 896-PBR-15

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

श्री प्रकाश गोविन्द पाठक
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 24-2-2015
को प्रस्तुत
1033/24-02-2015
अधीक्षक

1— कोरजी पिता नत्थु पाटीदार
2— अम्बाराम पिता मंगत्या पाटीदार
3— रामलाल पिता गप्पल पाटीदार
4— सत्यनारायण पिता खेमा पाटीदार
5— मधु पिता गोपाल पाटीदार
6— महादेव पिता नरसिंग पाटीदार
7— तुलसीराम पिता मंगा पाटीदार
8— गजानन पिता मंगा पाटीदार
9— सुरेश पिता हेमा पाटीदार
10— धनराज पिता शंकर पाटीदार
11— दुर्गेश पिता उद्धव पाटीदार
12— रामदेव पिता शंकर पाटीदार
13— विनोद पिता दयाराम पाटीदार
14— मोतीलाल पिता गंगाराम पाटीदार
15— सहदेव पिता लीमजी पाटीदार
16— जगदीश पिता कोटिया पाटीदार
17— रमेश पिता बुदा पाटीदार
18— तुलसीराम पिता गंगा पाटीदार
19— रमेश पिता नारायण पाटीदार
20— राधेश्याम पिता शंकर पाटीदार
21— देवराम पिता घुसाई पाटीदार
22— हीरालाल पिता बुदा पाटीदार
23— परशुराम पिता हरी पाटीदार
24— बद्री पिता नारायण शिन्दे

निवासी—ग्राम बेडवाल्या, तहसील—कुक्षी, जिला—धार। ——— अपीलान्ट्स

16-4-15
17-4-15
12/5/15

विरुद्ध

1— शंकर पिता गोकूल,
2— रमेशचंद्र पिता रूपाजी कुलमी
निवासीगण—ग्राम बेडवाल्या, तहसील—कुक्षी, जिला—धार
3— शिवकुंवरबाई पिता नाना,
4— मोतिया पिता अर्जुन
निवासीगण—ग्राम लिंगवा, तहसील कुक्षी, जिला—धार। ——— रेस्पाण्डेण्ट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण क्रमांक 120/अपील/12—13 में दिनांक 26/12/2014 को पारित आदेश से असन्तुष्ट